भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 233

मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-कॉमर्स के लिए एक समान नीति

233. प्रो. सौगत रायः
श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोई व्यापक ई-कॉमर्स नीति नहीं है और यदि हां, तो ऐसी नीति बनाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है;

(ख) क्या सरकार प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों से देश में रोजगार के अवसरों को उत्पन्न खतरे के बारे में चिंतित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई-कॉमर्स के तीव्र विकास ने देश के लाखों छोटे खुदरा व्यापारियों की आजीविका और रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में ई-कॉमर्स की समग्र निगरानी और विकास के लिए किसी नोडल एजेंसी अथवा विनियामक के साथ ई-कॉमर्स के लिए पृथक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यवसाय को नागरिक-केन्द्रित के समकक्ष सुनिश्चित करने के लिए कोई एक समान नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क), (घ) और (ङ): ई-कॉमर्स क्षेत्र एक व्यापक कानूनी और नीतिगत फ्रेमवर्क द्वारा प्रशासित है। ई-कॉमर्स क्षेत्र पर लागू कुछ अधिनियम जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 आदि हैं। एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 में ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। एफडीआई विनियमों का कोई भी उल्लंघन फेमा, 1999 के दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत आता है। आरबीआई, फेमा को प्रशासित करता है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फेमा का प्रवर्तन करने वाला प्राधिकरण है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) पीड़ित पक्ष के संदर्भ में अन्य बातों के साथ-साथ अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण सहित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के मामलों का फैसला करता है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है।

(ख) और (ग) : सरकार, देश के छोटे खुदरा व्यापारियों के हितों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमों, नियमों और नीतियों के रूप में विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से जुड़े सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी, ई-कॉमर्स को और अधिक समावेशी बनाता है, जिसमें छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म केंद्रित नीतियों द्वारा प्रशासित होने के बजाय किसी भी ओएनडीसी अनुकूल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। यह उन्हें नेटवर्क पर खोजे जाने और व्यवसाय करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। यह ऐसे छोटे खुदरा विक्रेताओं और वितरकों द्वारा डिजिटल साधनों को आसानी से अपनाने को भी प्रोत्साहित करता है, जो वर्तमान में डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर मौजूद नहीं हैं।

(च) : सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू किया है, जिसके तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उनको बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने एवं भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है। सीसीआई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उद्यमों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग से संबंधित मामलों को देखता है।

उपभोक्ता मामले विभाग ने ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को अधिसूचित किया है। ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-कॉमर्स कंपनियो की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं और ग्राहक शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री ई-कॉमर्स कंपनियों की देनदारियों को निर्दिष्ट करते हैं।

******